इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जुलाई 2014—आषाढ़ 16, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्र. 12468-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 7 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ए) में, शब्द और अंक ''धारा ३७'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, शब्द ''अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्'' के स्थान पर, शब्द ''अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् और ऐसी शर्त के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक ''धारा ३७'' के स्थान पर शब्द और अंक ''इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) की धारा ४८ में, अधिनियम की धारा ३७, ३८, ३८-ए तथा ३९ के कतिपय अपराध शमनीय हैं. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन को धारा ३४ के अधीन शमनीय बनाया जाए. अतएव मूल अधिनियम की धारा ४८ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. मूल अधिनियम की धारा ५४ में यह उपबंध है कि जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध किए गए हैं या किए जा रहे हैं या जिनका किया जाना संभाव्य है, तो आबकारी अधिकारी अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् किसी भी स्थान की वारंट के बिना तलाशी ले सकेगा. तलाशी लेने की इस शक्ति का प्रायः अविवेकपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है. अतएव धारा ५४ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

३. मूल अधिनियम की धारा ६१ में यह उपबंध है कि न्यायालय, कलक्टर या आबकारी अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर कतिपय अपराधों के लिए संज्ञान लेगा. धारा ६१ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को कलक्टर या आबकारी अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट के बिना अभियोजित न किया जा सके.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ जून, २०१४.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक २०१४ के खण्ड ३ द्वारा वारण्ट के बिना तलाशी लेने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु शर्तें विहित किए जाने विषयक नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.